शिक्षा जगत

छात्र आन्दोलन से भयाक्रान्त लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिशा छात्र संगठन पर ग़ैर-क़ानूनी प्रतिबन्ध

लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय में हर साल क़रीब 45,000 छात्र दाखिला लेते हैं। प्रादेशिक राजधानी का विश्वविद्यालय होने के कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि आस-पास के राज्यों के भी तमाम छात्र यहाँ दाखिला लेते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद पूरे विश्वविद्यालय में लम्बे समय से शैक्षणिक और व्यवस्थागत अराजकता का राज्य था। छात्रसंघ भंग होने के बाद से छात्रों के पास कोई भी ऐसा मंच नहीं था जिसके ज़रिये वे अपना प्रतिरोध या शिकायतें दर्ज कराते। छात्रों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन का रुख़ ऐसा था कि अगर कोई छात्र अपनी समस्या लेकर प्रशासन के पास जाता तो उसे निलम्बित कर दिया जाता या अव्यवस्था फैलाने के नाम पर उस पर अर्थदण्ड लगा दिया जाता था। विश्वविद्यालय में पिछले लम्बे समय से कोई कुलपति नहीं था और प्रति कुलपति यू.एन.द्विवेदी कार्यकारी कुलपति की भूमिका निभा रहे थे। प्रॉक्टर ए.एन.सिंह पिछले एक दशक से भी लम्बे समय से प्रॉक्टर के पद पर आसीन हैं और उन्होंने छात्रों को दबाने के लिए कैम्पस के भीतर एक पुलिस चौकी तक खुलवा डाली है!

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अक्टूबर माह की शुरुआत से दिशा छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में मौजूद तमाम समस्याओं और प्रशासन के तानाशाहीपूर्ण रवैये के ख़िलाफ़ एक आन्दोलन चला रहे थे। समस्याओं की प्रकृति ऐसी है कि कोई भी छात्र अगर पढ़ना चाहे तो भी नहीं पढ़ सकता है। छात्रावासों में मेस तक की व्यवस्था नहीं है और खाना पकाने की इज़ाज़त नहीं है; नतीजतन, छात्र ढाबों पर खाने को मजबूर हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र इसके कारण बीमार पड़ते हैं और कई बार उन्हें परीक्षा तक छोड़नी पड़ जाती है। शौचालय बन्द पड़े हैं या खुले भी हैं तो उनमें साफ़-सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे कला संकाय में एक भी शौचालय नहीं है। हर वर्ष दाखिले के फ़ॉर्म 350 से 500 रुपये में बेचे जाते हैं और एक फ़ॉर्म से आवेदक सिर्फ़ एक पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकता है। लाईब्रेरी के लिए हर वर्ष फण्ड आता है लेकिन लम्बे समय से उसमें नयी ख़रीद नहीं की गई है और किताबें छात्रों के लिए पुरानी पड़ चुकी हैं। परीक्षा फ़ार्म और पुनर्मूल्यांकन फ़ार्म तक 300 और 200 रुपये तक में बेचे जाते हैं। वहीं कैम्पस के भीतर छात्रों पर प्रॉक्टर ए.एन. सिंह कॉरीडोर में बात करने या गीत गाने पर भी चलते-चलते 50 रुपये तो कभी 100 रुपये जुर्माना कर देते हैं! कैम्पस और उसके आस-पास के इलाक़ों में पुलिस छात्रों का निर्मम उत्पीड़न करती है और कहीं पर भी छात्रों को थप्पड़ मार देना, उनका आई कार्ड छीन लेना या उन्हें बेइज़्ज़त करना आम बात है।

ऐसी ही तमाम समस्याएँ थीं, जिनके विरुद्ध दिशा छात्र संगठन के नेतृत्व में छात्रों ने एक पर्चा निकाला और पूरे विश्वविद्यालय में वितरित किया। 3 नवम्बर को लखनऊ विश्वविद्यालय में नए कुलपति श्री मनोज कुमार मिश्रा की नियुक्ति हुई। इसके बाद 'दिशा' ने एक 18-सूत्रीय माँगपत्रक पर पूरे विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। 18 नवम्बर तक इस माँगपत्रक पर क़रीब डेढ़ हज़ार हस्ताक्षर करके छात्र सैकड़ों की संख्या में कुलपति कार्यालय पहुँचे। वहाँ छात्रों के एक छह-सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने कुलपति से मुलाक़ात की। क़रीब 45 मिनट चली वार्ता के बाद कुलपति ने छात्रों की माँगों को माना और उन्हें पूरा करने के लिए वक्त माँगा। इसके बाद छात्र प्रतिनिधि बाहर आए और उन्होंने क़रीब 800 छात्रों के साथ

दिशा छात्र संगठन के अभिनव और दीपक को गिरफ़्तार करके ले जाती पुलिस

मिलकर एक शान्तिपूर्ण जुलूस निकाला और महमूदाबाद छात्रावास की ओर बढ़ने लगे। लेकिन प्रॉक्टर ए. एन. सिंह को यह बात नागवार गुज़री कि छात्रों ने इतनी बड़ी संख्या में कुलपति से मुलाकात की। प्रॉक्टर ने विजय जुलूस के बीच ही दिशा छात्र संगठन के संयोजक अभिनव सिन्हा को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस को भेजा, लेकिन छात्रों ने पुलिस को वहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद महमूदाबाद छात्रावास में छात्रों ने एक सभा की और आन्दोलन का समीक्षा-समाहार किया। सभा के समाप्त होने के बाद जब छात्र वहाँ से विसर्जित होने लगे तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गये। वहाँ पुलिस ने अभिनव और दिशा छात्र संगठन के एक अन्य कार्यकर्त्ता दीपक को हिरासत में ले लिया। लेकिन यह ख़बर छात्रावासों में पहुँचते ही छात्रों ने पुलिस और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों को घेर लिया और पुलिस की जीप के आगे लेट गये। क़रीब 1 घंटे तक छात्रों ने जीप को वहाँ से जाने नहीं दिया और गिरफ़्तार छात्र नेताओं के कहने पर ही छात्र वहाँ से हटे। इसके बाद क़रीब 1000 छात्र वहाँ से कुलपति कार्यालय का घेराव करने के लिए बढ़ने लगे। इतने में कुलपति वहाँ ख़ुद आ गये और उन्होंने छात्रों की सभी माँगों को मानने का आश्वासन दिया। छात्रों ने अपने नेताओं को तत्काल रिहा करवाने की माँग की जिस पर कुलपति ने पुलिस प्रशासन और प्रॉक्टर को उनकी अनुमति के बिना पुलिस को परिसर के अन्दर बुलाने के लिए फटकार लगाई और दिशा छात्र संगठन के दोनों छात्रों को रिहा करवाया। कुलपति महोदय ने रिहा नेताओं से वार्ता में इस बात का आश्वासन दिया कि छात्रों की सभी माँगें मानी जायेंगी। प्रॉक्टोरियल बोर्ड का कहना था कि ये दोनों छात्र अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के नहीं। इस पर कुलपति ने स्वयं माना कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कोई भी सही बात उठाने वाला 'आउटसाइडर' नहीं होता।

अगले दिन लखनऊ के सारे अख़बारों में हुई व्यापक कवरेज में सभी ने एक स्वर से लिखा कि क़रीब दो दशक बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में सन्नाटा टूटा और छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर इतना बड़ा आन्दोलन हुआ।

छात्रों के भारी दबाव में बाहर आकर उनसे बात करते हुए कुलपति

लेकिन इस वार्ता के तीन दिन बाद ही कुलपति मनोज मिश्रा स्वयं अपनी बात से मुकर गये और प्रॉक्टर की शिकायत करने जा रहे छात्रों को डराने-धमकाने की कोशिश की और कहा कि कोई 'बाहरी तत्त्व' विश्वविद्यालय के भीतर नहीं आएगा। एक दशक से प्रॉक्टर पद पर आसीन ए. एन. सिंह ऊपर से दबाव बनाकर कुलपति के रुख को बदलने में सफ़ल हो गये थे और अब छात्रों का सामना महज़ प्रॉक्टर से नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन से था।

इसके चार दिन बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने एकतरफ़ा और ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से दिशा छात्र संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया। साफ़ है कि छात्र आन्दोलन की विजय से विश्वविद्यालय प्रशासन और तमाम पदों पर आसीन भ्रष्टाचारी डर गये थे। यही कारण था कि उस छात्र संगठन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिसने छात्रों का आन्दोलन में नेतृत्व किया था। यहाँ ग़ौरतलब बात यह भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बीच प्रॉक्टर के साथ दलाली में लिप्त रहा और छात्र आन्दोलन को तोड़ने के लिए मुखबिरी से लेकर झूठी गवाहियाँ देने तक से नहीं चूका। बताने की ज़रूरत नहीं है कि गद्दारी, मुख़बिरी और दलाली संघ के आनुषंगिक संगठनों की पुरानी फितरत रही है। छात्रों ने एकजुट होकर इस प्रतिबन्ध का विरोध किया और इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की। छात्रों ने कहा कि दिशा छात्र संगठन का कार्य विश्वविद्यालय में जारी रहेगा।

दिशा छात्र संगठन के संयोजक अभिनव ने कहा कि उनका संगठन इस ग़ैर-क़ानूनी प्रतिबन्ध के खिलाफ़ अदालत जाएगा और छात्रों के बीच उनका काम जारी रहेगा। ऐसा कोई भी फ़रमान छात्रों के बीच एक क्रान्तिकारी विकल्प खड़ा करने से दिशा को रोक नहीं सकता। पूरे देश के ही विश्वविद्यालय कैम्पसों में जनवाद का क्षरण हो रहा है और जो परिसर कभी स्वतन्त्रता, जनवाद और समानता के विचारों की जन्मभूमि रहे थे अब उन्हीं कैम्पसों के भीतर इन विचारों की भ्रूण हत्या की साज़िश तानाशाह सरकारें रच रही हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि दमन जितना अधिक होता है, प्रतिरोध उतना ही ज़बर्दस्त होता है।

– आह्वान संवाददाता